

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक  
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,  
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान  
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी  
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन  
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

# मध्यप्रदेश राजपत्रा

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 129]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 5 फरवरी 2010—माघ 16, शक 1931

गृह विभाग (सी-अनुभाग)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 फरवरी 2010

क्र. एफ. 31-23-80-दो-सी-1.—मध्यप्रदेश राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का. सं. 65) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 31-23-80-सी-1, दिनांक 25 जनवरी, 2008 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन करती है. सलाहकार बोर्ड निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :-

- |     |                                      |   |         |
|-----|--------------------------------------|---|---------|
| (1) | मान. न्यायमूर्ति श्री अरुण मिश्रा    | - | अध्यक्ष |
| (2) | मान. न्यायमूर्ति श्री के. के. लाहोटी | - | सदस्य   |
| (3) | मान. न्यायमूर्ति श्री अजीत सिंह      | - | सदस्य   |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
विजय कटारिया, सचिव.

भोपाल, दिनांक 5 फरवरी 2010

क्र. एफ. 31-23-80-दो-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 5 फरवरी 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
विजय कटारिया, सचिव.

Bhopal, the 5th February 2010

F. No. 31-23-80-II-C-1.—In exercise of the powers conferred by Section 9 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980) and in Supersession of this department's notification F. No. 31-23-80-C-1, dated 25th January 2008, the State Government hereby re-constitutes the Advisory Board for the purposes of the said Act. The Advisory Board shall consist of the following persons, namely :—

- |    |                                   |   |          |
|----|-----------------------------------|---|----------|
| 1. | Hon'ble Justice Shri Arun Mishra  | - | Chairman |
| 2. | Hon'ble Justice Shri K. K. Lahoti | - | Member   |
| 3. | Hon'ble Justice Shri Ajit Singh   | - | Member   |

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
VIJAY KATARIA, Secy.

भोपाल, दिनांक 5 फरवरी 2010

क्र. एफ. 31-23-80-दो-सी-1.—चोर बाजारी निवारण और अत्यावश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 (1980 का. सं. 07) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 31-19-82-सी-1, दिनांक 25 जनवरी, 2008 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन करती है। सलाहकार बोर्ड निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :—

- |     |                                      |   |         |
|-----|--------------------------------------|---|---------|
| (1) | मान. न्यायमूर्ति श्री अरुण मिश्रा    | - | अध्यक्ष |
| (2) | मान. न्यायमूर्ति श्री के. के. लाहोटी | - | सदस्य   |
| (3) | मान. न्यायमूर्ति श्री अजीत सिंह      | - | सदस्य   |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
विजय कटारिया, सचिव.

भोपाल, दिनांक 5 फरवरी 2010

क्र. एफ. 31-23-80-दो-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 5 फरवरी 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
विजय कटारिया, सचिव.

Bhopal, the 5th February 2010

F. No. 31-23-80-II-C-1.—In exercise of the powers conferred by section 9 of the Prevention of Blackmarketing and Maintenance of supplies of Essential Commodities Act, 1980 (No. 07 of 1980) and in Supersession of this department's notification F. No. 31-19-82-C-1, dated 25th January 2008, the State Government hereby re-constitutes the Advisory Board for the purposes of the said Act. The Advisory Board shall consist of the following persons, namely :—

- |    |                                   |   |          |
|----|-----------------------------------|---|----------|
| 1. | Hon'ble Justice Shri Arun Mishra  | - | Chairman |
| 2. | Hon'ble Justice Shri K. K. Lahoti | - | Member   |
| 3. | Hon'ble Justice Shri Ajit Singh   | - | Member   |

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
VIJAY KATARIA, Secy.

भोपाल, दिनांक 5 फरवरी 2010

क्र. एफ. 31-23-80-दो-सी-1.—विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का. सं. 52) की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 31-06-78-सी-1, दिनांक 25 जनवरी, 2008 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन करती है. सलाहकार बोर्ड निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :—

- |     |                                      |   |         |
|-----|--------------------------------------|---|---------|
| (1) | मान. न्यायमूर्ति श्री अरुण मिश्रा    | - | अध्यक्ष |
| (2) | मान. न्यायमूर्ति श्री के. के. लाहोटी | - | सदस्य   |
| (3) | मान. न्यायमूर्ति श्री अजीत सिंह      | - | सदस्य   |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
विजय कटारिया, सचिव.

भोपाल, दिनांक 5 फरवरी 2010

क्र. एफ. 31-23-80-दो-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 5 फरवरी 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
विजय कटारिया, सचिव.

Bhopal, the 5th February 2010

F. No. 31-23-80-II-C-1.—In exercise of the powers conferred by Section 8. of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (No. 52 of 1974) and in supersession of this department's notification F. No. 31-6-78-C-1, dated 25th January, 2008 the State Government hereby re-constitutes the Advisory Board for the purposes of the said Act. The Advisory Board shall consist of the Following Persons, namely:—

- |    |                                   |   |          |
|----|-----------------------------------|---|----------|
| 1. | Hon'ble Justice Shri Arun Mishra  | - | Chairman |
| 2. | Hon'ble Justice Shri K. K. Lahoti | - | Member   |
| 3. | Hon'ble Justice Shri Ajit Singh   | - | Member   |

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
VIJAY KATARIA, Secy.

भोपाल, दिनांक 5 फरवरी 2010

क्र. एफ. 31-23-80-दो-सी-1.—प्रिवेन्शन ऑफ इलिसिट ट्राफिक इन नारकोटिक्स ड्रग्स एण्ड सायकोट्रापिक सबस्टेन्सेस एक्ट 1988 (1988 का. सं. 46) की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 31-61-88-सी-1, दिनांक 25 जनवरी, 2008 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन करती है. सलाहकार बोर्ड निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :—

- |     |                                      |   |         |
|-----|--------------------------------------|---|---------|
| (1) | मान. न्यायमूर्ति श्री अरुण मिश्रा    | - | अध्यक्ष |
| (2) | मान. न्यायमूर्ति श्री के. के. लाहोटी | - | सदस्य   |
| (3) | मान. न्यायमूर्ति श्री अजीत सिंह      | - | सदस्य   |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
विजय कटारिया, सचिव.

भोपाल, दिनांक 5 फरवरी 2010

क्र. एफ. 31-23-80-दो-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 5 फरवरी 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
विजय कटारिया, सचिव.

Bhopal, the 5th February 2010

F. No. 31-23-80-II-C-1.—In exercise of the powers conferred by Section 9 of the Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988 (No. 46 of 1988) and in supersession of this department's notification F. No. 31-61-88-C-1, dated 25th January, 2008 the State Government hereby re-constitutes the Advisory Board for the purposes of the said Act. The Advisory Board shall consist of the Following persons, namely:—

- |    |                                   |   |          |
|----|-----------------------------------|---|----------|
| 1. | Hon'ble Justice Shri Arun Mishra  | - | Chairman |
| 2. | Hon'ble Justice Shri K. K. Lahoti | - | Member   |
| 3. | Hon'ble Justice Shri Ajit Singh   | - | Member   |

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

VIJAY KATARIA, Secy.